न्यायालय सहायक कलक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक)नयलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

जी.सी.एम.एस. नम्बर– 2021/1146
मुकदमा नम्बर 23/2021 दायर दिनांक : 12–03–2021

नन्दू सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी गोठडा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)
– वादी

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री पंकज कुमार जागिड़
वकील प्रति. :– राजपैरोकार

दावा : बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
:: निर्णय ::

दिनांक– 19–04–2021

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि ग्राम गोठडा पटवार हल्का गोठडा की सरहद में नया खाता संख्या 74 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1396/555, 1497/331, 1608/290, 424, 428, 433 रकबा क्रमशः 0.40, 0.05, 0.02,0.94, 0.63, 0.13 हैक्टर कुल किता 06 कुल रकबा 2.17 हैक्टर एवं नया खाता संख्या 75 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 434 रकबा 0.42 हैक्टर स्थित है, जिन्हे आगे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 74 की खातेदारी वादी व उसके सह–खातेदार गोविन्द सिह, छगनसिंह, फतेहसिंह पुत्रगण नारायण सिंह, मदन कंवर पत्नी नारायणसिंह, जगन्नाथ सिंह, लिछमण सिंह पुत्र जेतसिंह नत्थूसिंह, बजरंग सिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपूत निवासी गोठडा के नाम वर्तमान में दर्जुक्षा चली आ रही है तथा वादग्रस्त भूमि खाता नम्बर 75 की खातेदारी वादी व उसके सह खातेदार गोविन्द सिंह, छगनसिंह, फतेहसिंह पुत्रगण नारायण सिंह मदन कंवर पत्नी नारायण सिंह, जगन्नाथसिंह, लिछमण सिंह पुत्र जेतसिंह, नथूसिंह पुत्र माधोसिंह इन्द्र सिंह मंगतूसिंह पुत्र बनेसिंह जाति राजपूत निवासी गोठडा के नाम वर्तमान में दर्जुक्षा चली आ रही है। उक्त वाद पत्र में वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी संबंधित कोई विवाद नही है, सिर्फ वादी का नाम नन्दूसिंह पुत्र नारायण सिंह के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में गिरधारी सिंह पुत्र नारायणसिंह गलत रूप से चला आ रहा है, इसी का ही विवाद है।

उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमियां वादी व उसके सहखातेदार की खातेदारी कास्त की भूमि है जिस पर वादी अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज कास्त है और आबाद है, परन्तु विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम नन्दूसिंह पुत्र नारायणसिंह के स्थान पर गलत रूप से गिरधारी सिंह पुत्र नारायण सिंह दर्ज कर दिया जो बदस्तुर राजस्व रिकार्ड में गलत चला आ रहा है जबकि वादी का वास्तविक सही नाम नन्दूसिंह पुत्र नारायण सिंह है। वादी का नाम लोक दस्तावेज पेन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचाना पत्र, राशनकार्ड आदि में भी नन्दूसिंह पुत्र नारायण सिंह दर्जुक्षा है तथा वादी की अन्य खातेदारी कास्त की भूमि वाके ग्राम गोठडा में स्थित खसरा नम्बर 290 रकबा 0.93 हैक्टर में भी वादी का नाम नन्दूसिंह पुत्र नारायण सिंह दर्ज है, जो सही व वास्तविक नाम है, परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड मे वादी का

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:30:12 IST
Reason: SelfAttested

नाम नन्दूसिंह पुत्र नारायण सिंह के स्थान पर गलत रूप से गिरधारी सिंह पुत्र नारायण सिंह दर्ज कर दिया जो लगातार बदस्तुर राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज चला आ रहा है। अब वादी ने पटवारी हल्का से दिनांक 03.09.2021 को जमाबंदी की नकल प्राप्त कर ऋण लेने हेतु बैंक मे गया तब बैंकवालों ने बताया कि आपके अन्य दस्तावेजों मे आपका नाम नन्दूसिंह पुत्र नारायण सिंह दर्ज है तथा राजस्व रिकार्ड में गिरधारी सिंह पुत्र नारायण सिंह दर्ज है, तब वादी को इस गलत रिकार्ड के बारे मे पता चला। इसलिये उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गिरधारी सिंह पुत्र नारायण सिंह के स्थान पर नन्दूसिंह पुत्र नारायण सिंह दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। ऐसी हालत में वादी के लिए यह दावा बाबत घोषणार्थ दुरूस्ती रिकार्ड का पेश करना आवश्यक हुआ।

वादकारण दिनांक 03.03.2021 को वादी पटवारी हल्का से राजस्व रिकार्ड की नकल लेकर बैंक से ऋण लेने हेतु बैंक वालो से सम्पर्क किया तब बैंकवालों ने बताया कि आपका नाम अन्य दस्तावेज में नन्दूसिंह पुत्र नारायणसिंह तथा राजस्व रिकार्ड में गिरधारी सिंह पुत्र नारायण सिंह दर्ज है, तब वादी इस गलत राजस्व रिकार्ड का पता चलने के रोज बमुकाम गोठडा पैदा हुआ।

वादी द्वारा वाद–पत्र मे अनुतोष के संबंध में निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम गोठडा पटवार हल्का गोठडा की सरहद में नया खाता संख्या 74 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1396/555, 1497/331, 1608/290, 424, 428, 433 रकबा क्रमशः 0.40, 0.05, 0.02,0.94, 0.63, 0.13 हैक्टर कुल किता 06 कुल रकबा 2.17 हैक्टर एवं नया खाता संख्या 75 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 434 रकबा 0.42 हैक्टर में स्थित राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गिरधारी सिंह पुत्र नारायण सिंह के स्थान पर नन्दूसिंह पुत्र नारायण सिंह दर्जकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश तहसीलदार नवलगढ को दिया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से सम्यक तामिल के बावजूद इनके ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नही होने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

तद्पश्चात तहसीलदार नवलगढ से वादी नन्दूसिंह पुत्र नारायण सिंह एवं गिरधारी सिंह पुत्र नारायण सिंह दोनो नामों के संबंध में रिपोर्ट चाही गयी तहसीलदार नवलगढ द्वारा मौका जांच कर रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि वाके ग्राम गोठडा के मजमे आम पर उपस्थितजनों को बताया कि नन्दूसिंह पुत्र नारायण सिंह द्वारा ग्राम गोठडा की भूमि खसरा नम्बर ग्राम गोठडा पटवार हल्का गोठडा की सरहद में नया खाता संख्या 74 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1396/555, 1497/331, 1608/290, 424, 428, 433 रकबा क्रमशः 0.40, 0.05, 0.02,0.94, 0.63, 0.13 हैक्टर कुल किता 06 कुल रकबा 2.17 हैक्टर एवं नया खाता संख्या 75 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 434 रकबा 0.42 हैक्टर में अपना नाम गिरधारी सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत दर्ज रिकार्ड होना बताया। मौतविरान से पूछताछ करने पर बताया गया कि गिरधारी सिंह पुत्र नारायण सिंह का वास्तविक नाम नन्दूसिंह पुत्र नारायण सिंह ही है जो ग्राम गोठडा के खसरा नम्बर 290 में नन्दूसिंह पुत्र नारायण सिंह हिस्सा 1/5 जाति राजपूत दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पैनकार्ड, आधार कार्ड, राशनकार्ड आदि में नन्दूसिंह पुत्र नारायण सिंह दर्ज है। मौके पर उपस्थित जनो द्वारा बताया गया कि आमतौर पर गिरधारी सिह पुत्र नारायण सिंह के नाम से जानते है, जबकि रिकार्ड दस्तावेजों में नन्दूसिंह पुत्र नारायण सिंह सिंह है व गिरधारी सिंह व नन्दूसिह पिता नारायण सिंह एक ही व्यक्ति है।

जवाब देही प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। वादिया द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में ग्राम गोठड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 पेश किया था। नाम के सम्बन्ध में दस्तावेजात के रूप में आधारा कार्ड, बैंक खाता पासबुक आदि पेश किया गया जिसमें वादी का नाम गिराधारी सिंह पुत्र नन्दूसिह जाति रापजूत निवासी गोठडा दर्ज

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:30:12 IST
Reason: SelfAttested

नाम नन्दूसिंह पुत्र नारायण सिंह के स्थान पर गलत रूप से गिरधारी सिंह पुत्र नारायण सिंह दर्ज कर दिया जो लगातार बदस्तुर राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज चला आ रहा है। अब वादी ने पटवारी हल्का से दिनांक 03.09.2021 को जमाबंदी की नकल प्राप्त कर ऋण लेने हेतु बैंक मे गया तब बैंकवालों ने बताया कि आपके अन्य दस्तावेजों मे आपका नाम नन्दूसिंह पुत्र नारायण सिंह दर्ज है तथा राजस्व रिकार्ड में गिरधारी सिंह पुत्र नारायण सिंह दर्ज है, तब वादी को इस गलत रिकार्ड के बारे मे पता चला। इसलिये उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गिरधारी सिंह पुत्र नारायण सिंह के स्थान पर नन्दूसिंह पुत्र नारायण सिंह दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। ऐसी हालत में वादी के लिए यह दावा बाबत घोषणार्थ दुरूस्ती रिकार्ड का पेश करना आवश्यक हुआ।

वादकारण दिनांक 03.03.2021 को वादी पटवारी हल्का से राजस्व रिकार्ड की नकल लेकर बैंक से ऋण लेने हेतु बैंक वालो से सम्पर्क किया तब बैंकवालों ने बताया कि आपका नाम अन्य दस्तावेज में नन्दूसिंह पुत्र नारायणसिंह तथा राजस्व रिकार्ड में गिरधारी सिंह पुत्र नारायण सिंह दर्ज है, तब वादी इस गलत राजस्व रिकार्ड का पता चलने के रोज बमुकाम गोठडा पैदा हुआ।

वादी द्वारा वाद–पत्र मे अनुतोष के संबंध में निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम गोठडा पटवार हल्का गोठडा की सरहद में नया खाता संख्या 74 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1396/555, 1497/331, 1608/290, 424, 428, 433 रकबा क्रमशः 0.40, 0.05, 0.02,0.94, 0.63, 0.13 हैक्टर कुल किता 06 कुल रकबा 2.17 हैक्टर एवं नया खाता संख्या 75 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 434 रकबा 0.42 हैक्टर में स्थित राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गिरधारी सिंह पुत्र नारायण सिंह के स्थान पर नन्दूसिंह पुत्र नारायण सिंह दर्जकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश तहसीलदार नवलगढ को दिया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से सम्यक तामिल के बावजूद इनके ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नही होने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

तदपश्चात तहसीलदार नवलगढ से वादी नन्दूसिंह पुत्र नारायण सिंह एवं गिरधारी सिंह पुत्र नारायण सिंह दोनो नामों के संबंध में रिपोर्ट चाही गयी तहसीलदार नवलगढ द्वारा मौका जांच कर रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि वाके ग्राम गोठडा के मजमे आम पर उपस्थितजनों को बताया कि नन्दूसिंह पुत्र नारायण सिंह द्वारा ग्राम गोठडा की भूमि खसरा नम्बर ग्राम गोठडा पटवार हल्का गोठडा की सरहद में नया खाता संख्या 74 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1396/555, 1497/331, 1608/290, 424, 428, 433 रकबा क्रमशः 0.40, 0.05, 0.02,0.94, 0.63, 0.13 हैक्टर कुल किता 06 कुल रकबा 2.17 हैक्टर एवं नया खाता संख्या 75 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 434 रकबा 0.42 हैक्टर में अपना नाम गिरधारी सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत दर्ज रिकार्ड होना बताया। मौतबिरान से पूछताछ करने पर बताया गया कि गिरधारी सिंह पुत्र नारायण सिंह का वास्तविक नाम नन्दूसिंह पुत्र नारायण सिंह ही है जो ग्राम गोठडा के खसरा नम्बर 290 में नन्दूसिंह पुत्र नारायण सिंह हिस्सा 1/5 जाति राजपूत दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पैनकार्ड, आधार कार्ड, राशनकार्ड आदि में नन्दूसिंह पुत्र नारायण सिंह दर्ज है। मौके पर उपस्थित जनो द्वारा बताया गया कि आमतौर पर गिरधारी सिह पुत्र नारायण सिंह के नाम से जानते है, जबकि रिकार्ड दस्तावेजों में नन्दूसिंह पुत्र नारायण सिंह सिंह है व गिरधारी सिंह व नन्दूसिह पिता नारायण सिंह एक ही व्यक्ति है।

जवाब देही प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। वादिया द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में ग्राम गोठड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 पेश किया था। नाम के सम्बन्ध में दस्तावेजात के रूप में आधारा कार्ड, बैंक खाता पासबुक आदि पेश किया गया जिसमें वादी का नाम गिराधारी सिंह पुत्र नन्दूसिह जाति रापजूत निवासी गोठडा दर्ज

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:30:12 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
दमयंती कंवर (आर०ए०एस०) ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.), नवलगढ.

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 23/2021 (नन्दूसिंह बनाम तहसीलदार)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कंवर** (आर०ए०एस०),ए॰सी॰ई॰एम॰ (फा॰ट्रे॰), नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 19.04.2021 निर्णयानुसार राजस्व ग्राम गोठडा की भूमि खसरा नम्बर ग्राम गोठडा पटवार हल्का गोठडा की सरहद में नया खाता संख्या 74 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1396/555, 1497/331, 1608/290, 424, 428, 433 रकबा क्रमशः 0.40, 0.05, 0.02,0.94, 0.63, 0.13 हैक्टर कुल किता 06 कुल रकबा 2.17 हैक्टर एवं नया खाता संख्या 75 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 434 रकबा 0.42 हैक्टर में गिरधारी सिंह पुत्र नारायण सिंह के स्थान पर नन्दूसिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी गोठडा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे।

जन..........–.............. मुबलिग..........–..........बाबत.....–..........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–...........फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–............का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 19 माह 04 सन 2021 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

.मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	4.00	मुतफरिक मिजान	0.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:30:12 IST
Reason: SelfAttested